

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्डुनू

पीठासीन अधिकारी : दमयंती कंवर
(आर.ए.एस.)

जी.सी.एम.एस. नम्बर- 2021 / 135

मुकदमा नम्बर 86 / 2019

दायर दिनांक : 12-06-2019

1. महावीर पुत्र गणपतराम
2. श्रीराम पुत्र गणपतराम
3. चन्नी देवी पत्नी गणपत
4. शम्भूदयाल पुत्र रामकरण
5. झीमकोरी पत्नी रामकरण
6. रोहिताश पुत्र रामकरण
7. पतासी पत्नी बीरबल
8. इन्द्रा देवी पत्नी मनफूल
9. विकास पुत्र मनफूल
10. परमेश्वरी पत्नी सरदारा राम
11. विक्रम पुत्र सरदारा राम
12. सुनीता पुत्री सरदारा राम

समस्त जाति जाट निवासीगण खेदड़ो की ढाणी तन कारी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्डुनू।

— वादीगण

बनाम

1. संतोष पत्नी इन्द्राज
2. सरबती पुत्री इन्द्राज
3. सुमन पुत्री इन्द्राज
4. संजू पुत्री इन्द्राज
5. बबीता पुत्री इन्द्राज
6. विधाधर पुत्र इन्द्राज
7. शीशराम पुत्र मालाराम
8. मगनाराम पुत्र मालाराम
9. रणजीत पुत्र मालाराम
10. राजेश पुत्र मालाराम
11. जयसिंह पुत्र मालाराम

समस्त जाति जाट निवासीगण खेदड़ो की ढाणी तन कारी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्डुनू।

12. शाखा प्रबंधक बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कारी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्डुनू।

13. शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ादा शाखा नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्डुनू।

14. राजस्थान सरकार जरिये भूमि धारक तहसीलदार नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्डुनू (राज.)

—प्रतिवादीगण

वकील वादी : - श्री सज्जन कुमार चाहर

वकील प्रति. :- श्री नरेन्द्र सिंह शेखावत

वाद-पत्र घोषणार्थ, रिकॉर्ड दुरुस्ती,

विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

:: निर्णय ::

दिनांक : 06-09-2021

वाद वादी दिनांक 03-03-2021 को प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार नवलगढ़ को मौका कमीश्नर नियुक्त किया गया एवं मुताबिक निर्णय पक्षकारान की मौजूदगी में कानून के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना प्रस्तुत करने बाबत आदेशित किया गया। तहसीलदार द्वारा विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक भू.अ./20/634 दिनांक 11.08.2021 द्वारा प्रस्तुत करने पर बहस विभाजन प्रस्ताव वकील पक्षकारान सुनी गई। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी डिक्री किये जाने में वकील पक्षकारान द्वारा सहमति जाहिर करने पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी स्वीकार किया जाता है।


ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ़

उक्त वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग शा। ग्राम कारी पटवार मण्डल कारी स्थित भूमि खसरा नम्बर 632, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 660, 661, 663 रकबा क्रमशः 0.50, 0.55, 0.050, 0.70, 0.040, 0.548, 0.040, 0.60, 1.03, 1.15, 1.78 हैक्टर कुल कित्ता 11 कुल रकबा 6.5700 हैक्टर भूमि में निम्न प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है:-

क्र. स.	भूमि ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टर में)	घोषित खातेदार काश्तकार
1	कारी	648	0.55	चन्नी देवी पत्नी गणपत, महाबीर, श्रीराम पिता गणपत हिस्सा 1/4, झीमकोरी पत्नी रामकरण, शम्भूदयाल, रोहिताश पिता रामकरण हिस्सा 1/4, पतासी पत्नी बीरबल हिस्सा 1/12, इन्द्रा देवी पत्नी मनफूल, विकास पुत्र मनफूल हिस्सा 1/12, परमेश्वरी पत्नी सरदाराराम, विक्रम पुत्र सरदाराराम, सुनिता पुत्री सरदाराराम हिस्सा 1/12, संतोष पत्नी इन्द्राज, विधाधर पुत्र इन्द्राज, सरबती, सुमन, संजू, बबीता पुत्रीयां इन्द्राज हिस्सा 1/4 जाति जाट साकिन देह खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
		650/1	0.01	
		649/1	0.03	
		650/2	0.0110	
		653	0.04	
		654	0.60	
		652/1	0.0118	
		632	0.0500	
		651	0.0400	
		652/3	0.5170	
		650/5	0.6368	
		649/3	0.0100	
		660	1.03	
		661	1.15	
		663	1.78	
	15	6.4670		
2	कारी	650/3	0.0206	चन्नी देवी पत्नी गणपत, महाबीर, श्रीराम पुत्र गणपत हिस्सा 1/5, झीमकोरी पत्नी रामकरण, शम्भूदयाल, रोहिताश पिता रामकरण हिस्सा 1/5, पतासी पत्नी बीरबल हिस्सा 1/15, इन्द्रा देवी पत्नी मनफूल, विकास पुत्र मनफूल हिस्सा 1/15, परमेश्वरी पत्नी सरदाराराम, विक्रम पुत्र सरदाराराम, सुनिता पुत्री सरदाराराम हिस्सा 1/15, संतोष पत्नी इन्द्राज, विधाधर पुत्र इन्द्राज, सरबती, सुमन, संजू, बबीता पुत्रीया इन्द्राज हिस्सा 1/5, शीशराम, मगनाराम, रणजीत, राजेश, जयसिंह पिता मालाराम हिस्सा 1/5 जाति जाट साकिन देह खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
		650/4	0.0206	
		649/2	0.0100	
		652/2	0.0512	
		4	0.1024	
3	कारी	659	0.88	पन्नी देवी पत्नी मालाराम, जयसिंह, मगनाराम, रणजीत, राजेश, शीशराम पुत्रगण मालाराम कौम जाट साकिन देह खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
		675	0.03	
		676	0.73	
		3	1.64	

तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त कर राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। उक्त निर्णय से यदि पक्षकारान् संतुष्ट नहीं है तो पक्षकारान् अपीलीय न्यायालय में अपील दायर करने हेतु स्वतंत्र रहेगा। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 06-09-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ए. सी. कर्कर (कृषि) मजिस्ट्रेट
(फास्ट-ट्रेक) नवलगढ जिला झुन्डुनू

(ओ 20 रूल्स 6-7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ मुकाम बईजलास नवलगढ
पीठासीन अधिकारी :- दमयंती कंवर
(आर.ए.एस.),

मुकदमा नम्बर 86/2019

दावा : घोषणार्थ रिकार्ड दुरुस्ती, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा
(महाबीर प्रसाद बनाम संतोष आदि)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरु दमयंती कंवर (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी. वकील वादीगण मनजानिब मुददई रूबरु वकील प्रतिवादीगण मनजानिब- मुददालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 06-09-2021 निर्णय वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। ग्राम कारी पटवार मण्डल कारी स्थित भूमि खसरा नम्बर 632, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 660, 661, 663 रकबा क्रमशः 0.50, 0.55, 0.050, 0.70, 0.040, 0.548, 0.040, 0.60, 1.03, 1.15, 1.78 हैक्टर कुल किता 11 कुल रकबा 6.5700 हैक्टर भूमि में निम्न प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है:-

क्र. स.	भूमि ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टर में)	घोषित खातेदार काश्तकार			
1	कारी	648	0.55	चन्नी देवी पत्नी गणपत, महाबीर, श्रीराम पिता गणपत हिस्सा 1/4, झीमकोरी पत्नी रामकरण, शम्भूदयाल, रोहिताश पिता रामकरण हिस्सा 1/4, पतासी पत्नी बीरबल हिस्सा 1/12, इन्द्रा देवी पत्नी मनफूल, विकास पुत्र मनफूल हिस्सा 1/12, परमेश्वरी पत्नी सरदाराराम, विक्रम पुत्र सरदाराराम, सुनिता पुत्री सरदाराराम हिस्सा 1/12, संतोष पत्नी इन्द्राज, विधाधर पुत्र इन्द्राज, सरबती, सुमन, संजू, बबीता पुत्रीयां इन्द्राज हिस्सा 1/4 जाति जाट साकिन देह खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।			
		650/1	0.0110				
		649/1	0.03				
		650/2	0.0110				
		653	0.04				
		654	0.60				
		652/1	0.0118				
		632	0.0500				
		651	0.0400				
		652/3	0.5170				
		650/5	0.6368				
		649/3	0.0100				
		660	1.03				
		661	1.15				
		663	1.78				
		15	6.4676				
2	कारी	650/3	0.0206	चन्नी देवी पत्नी गणपत, महाबीर, श्रीराम पुत्र गणपत हिस्सा 1/5, झीमकोरी पत्नी रामकरण, शम्भूदयाल, रोहिताश पिता रामकरण हिस्सा 1/5, पतासी पत्नी बीरबल हिस्सा 1/15, इन्द्रा देवी पत्नी मनफूल, विकास पुत्र मनफूल हिस्सा 1/15, परमेश्वरी पत्नी सरदाराराम, विक्रम पुत्र सरदाराराम, सुनिता पुत्री सरदाराराम हिस्सा 1/15, संतोष पत्नी इन्द्राज, विधाधर पुत्र इन्द्राज, सरबती, सुमन, संजू, बबीता पुत्रीया इन्द्राज हिस्सा 1/5, शीशराम, मगनाराम, रणजीत, राजेश, जयसिंह पिता मालाराम हिस्सा 1/5 जाति जाट साकिन देह खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।			
		650/4	0.0206				
		649/2	0.0100				
		652/2	0.0512				
					4	0.1024	
3	कारी	659	0.88	पन्नी देवी पत्नी मालाराम, जयसिंह, मगनाराम, रणजीत, राजेश, शीशराम पुत्रगण मालाराम कौम जाट साकिन देह खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।			
		675	0.03				
		676	0.73				
					3	1.64	

तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त कर राजस्थान लेण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे।

बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 06-09-2021 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट-ट्रेक) नवलगढ जिला झुन्डुनु